



2026:AHC:17145

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45391 सन् 2025

रविन्द्र सिंह एवं अन्य

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: राजेश कुमार मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याची ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि संबंधित प्राधिकारियों को उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत दायर वाद संख्या शून्य / 2024 (रविन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम सुखवासी एवं अन्य) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दायर आवेदन लम्बे समय से लम्बित है। इस स्तर पर यह उचित एवं समुचित प्रतीत होता है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख किया जाए, जो यह अधिदेशित करती है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर उसे निस्तारित करना होगा। उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(3). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से, यथासम्भव तीन माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।”

5. उक्त प्रावधान के आलोक में तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों के प्रकाश में, प्राधिकारियों को उक्त वाद को उठाकर उसके स्वयं के गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है।

6. उक्त प्रेक्षकों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिपक्षी प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलैन